कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 124 दिनांकः– 14.2.17

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
राँची।

विषय :– **सी0सी0एल0 के नया प्रस्ताव के0डी0एच0 परियोजना हेतु 126.72 हे0 वनभूमि (84.35 हे0 अधिसूचित वनभूमि तथा 42.37 हे0 जी0 एम0 जंगल–झाड़ वनभूमि) अपयोजन का प्रस्ताव।**

प्रसंग :– **आपका पत्रांक 20 दिनांक 04.01.2017**

महाशय,

भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No.- 11-360/2016-FC दिनांक 17.09.2016 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् प्रस्तावों के अभिलेख की छायाप्रति को authenticate कर समर्पित करने का दिशा–निर्देश निर्गत है तथा यह सूचित किया गया है कि बिना authentication के अभिलेखों की छायाप्रति स्वीकार्य नहीं की जायेगी।

आपके कार्यालय पत्रांक 20 दिनांक 04.01.2016 द्वारा विषयगत वनभूमि अपयोजन हेतु प्राप्त प्रस्ताव में अधिकांश कागजात यथा– स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन/क्षतिपूरक वनरोपण योजना एवं प्राक्कलन/उपयुक्तता प्रमाण पत्र/नक्शा/लैण्ड सिड्यूल/टोपोशीट इत्यादि छायाप्रति में समर्पित की गयी है।

अतः प्राप्त प्रस्ताव पाँच प्रतियों में लौटाते हुए अनुरोध है कि समर्पित कागजातों को वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा मुहर सहित हस्ताक्षर कर Authenticate किये जाने के पश्चात् ही भेजना सुनिश्चित करें।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक .... दिनांक ....

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ह0 ह0 3, –2

ज्ञापांक 124 दिनांक 14.2.17

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/वन प्रमंडल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।